//नोटिस //

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर आयकर संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु **आयकर सलाहकार (चाटर्ड एकाउंटेंट)** से वार्षिक मानदेय के आधार पर निविदाएं **(सील बंद लिफाफे में)** आमंत्रित की जाती है :–

कार्य बिन्दु की जानकरी निम्न प्रकार है :–

1. **आयकर रिटर्न, आयकर संबंधी समस्त मामले, अन्य संबंधित मामले एवं आंतरिक ऑडिटर के कार्य, इत्यादि जैसे कि :–**

    ए. समय पर त्रैमासिक रिर्टन जमा करना।

    बी. ई–टी.डी.एस. डाटा बिन नंबर सहित चेक करते हुए फाईल करना।

    सी. ई–फाईलिंग करने में यदि कोई गलती हो तो उसे सुधार कर पुनः जमा करना।

    डी. समस्त कर्मचारियों के फार्म नंबर 16 तैयार कर डाउनलोड करवाना।

    ई. सभी कर्मचारियों का स्वयं का आयकर निर्धारण फार्म चेक करना।

    एफ. आयकर विभाग द्वारा दी गयी किसी भी जानकारी या नोटिस आदि (माननीय न्यायाधिपति महोदयों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पूर्व के वर्षो के नोटिसों) का समय पर जबाब देना।

    जी. कार्यालय से संबंधित लेखा का वर्तमान में प्रचलित अधिनियमों अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों के अनुसार अद्यतन करना। टी.डी.एस. से संबंधित उठाये तथ्यों पर सलाह देना।

    एच. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में कंपनी के ठेकेदारों की टी.डी.एस. तैयार करना।

    आई. जी.एस.टी. निर्धारण आदि कार्य।

    जे. माननीय न्यायाधिपति महोदयों को आयकर संबंधी समस्याओं के निराकरण के संबंध में उचित सलाह देना।

2. उपरोक्त सभी कार्य निर्धारित समय–सीमा में संपादित/संपूर्ण करना।
3. आयकर संबंधी समस्या निर्धारित समय–सीमा में संपादित/संपूर्ण न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति को अथवा कार्यालय को उक्त समस्या के संबंध में तुरंत अवगत कराना।
4. अपने कार्यालय से एक ऐसे प्रतिनिधि को नियुक्त करें जिससे उच्च न्यायालय के रूटिन कार्य से अवगत कराया जा सके या उनसे सम्पर्क किया जा सके।
5. परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार आप स्वयं उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में उपस्थित होवे।

उक्त निविदाएं सील बंद लिफाफे में दिनांक 18/03/2019 या उसके पूर्व इस खण्डपीठ की स्थापना के लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।

(नवीन कुमार सक्सेना)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार

PRINCIPAL REGISTRAR
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH- GWALIOR
12 MAR 2019